न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : जितेन्द्र कुमार पाण्डे आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 74/2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2023/12

अपीलाण्ट		रेस्पोडेण्ट्स
पोकरसिंह पुत्र भैरुसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बारवा तह. बाली जिला पाली राज.	बनाम	1. अर्जुनसिंह पुत्र मानसिंह 2. सुरेशसिंह पुत्र मानसिंह जातिगण राजपुरोहित निवासीगण बारवा तह. बाली जिला पाली राज.

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत बखिलाफ ग्राम बारवा के नामान्तरकरण संख्या 1381 स्वीकृती दिनांक 21.11.2023 जो नायब तहसीलदार बाली द्वारा स्वीकृत किया गया।

–:निर्णय:–

उपस्थिति :– अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित

दिनांक: 07.06.2024

अपीलांट पोकर सिंह पुत्र भेरू सिंह राजपुरोहित निवासी बारवा ने एक अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत की जिसके अनुसार अपीलांट की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम बारवा में खसरा नंबर 883 पर सेटलमेंट से कब्जा काश्त शांतिपूर्वक चला आ रहा है व वर्तमान में भी मौके पर सरसों की फसल बुवाई की हुई है। अपीलांट की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 883 एवं रेस्पोंडेंटस की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 884 की अदला बदली हेतु आपसी विवाद चल रहा था। नायब तहसीलदार बाली द्वारा म्यूटेशन संख्या 1381 दिनांक 21 नवंबर 2023 को बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिए बिना कब्जे की जांच किये म्युटेशन स्वीकार कर दिया जो बिना कब्जे के अवैध व निरस्त किए जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार करते हुए बिना कब्जा रेस्पोंडेंट संख्या 3 नायब तहसीलदार वाली द्वारा ग्राम बारवा के उक्त म्युटेशन को अस्वीकार करते हुए विधिक प्रक्रिया के अनुसार अपीलांट को सुनवाई का मौका दिया जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट्स को नोटिस जारी किए गए। रेस्पोंडेंट संख्या एक अर्जुन सिंह पुत्र मानसिंह की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें उन्होंने प्रस्तुत अपील को सही वह सत्य बताते हुए निवेदन किया कि खसरा नंबर 883 पर अपीलांट का कब्जा है एवं राजस्व रिकॉर्ड में भी अपीलांट के खाते में है। मेरे पिताजी मानसिंह के खसरा नंबर 884 पर कब्जा काश्त थी एवं मेरे पिता एवं अपीलांट पोकर सिंह के उपरोक्त खसरा आपस में अदला बदली किए जाने के कारण आपस में विवाद चल रहा था। मेरे पिता स्वर्गीय मानसिंह के जीवन काल में उपरोक्त खसरा भूमि का आपसी सहमति से अदला बदली नहीं की गई थी। खसरा नंबर 883 अपीलांट का ही है व हमारा खसरा नंबर 884 है। रेस्पोंडेंट संख्या दो सुरेश सिंह पुत्र मानसिंह द्वारा दिनांक 3.7.19 को हकतरकनामा पंजीयन दस्तावेज स्वर्गीय मानसिंह के वारिसान श्रीमती संपत कंवर एवं श्रीमती लीला कंवर एवं श्रीमती कंचन कंवर एवं श्रीमती पर्वत कंवर पुत्रीगण स्वर्गीय मानसिंह के द्वारा रेस्पोंडेंट संख्या दो ने अपने हक में खसरा नंबर 884 रकबा 0.39 हेक्टेयर का हक अपने पक्ष में हकतर्कनामा के जरिए अपने हक में करवाया जिसमे स्पष्टतया हकतर्कनामा में खसरा नंबर 884 का उल्लेख है जिसमें खसरा नंबर 883 का कोई उल्लेख नहीं है जिससे जाहिर होता है कि मेरे पिताजी मान सिंह जी के हिस्से में खसरा नंबर 884 ही था। हमारे आपस में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हो। मौके पर अपीलांट के साथ अन्याय नहीं हो। अपीलांट ने अपने खसरा नंबर 883 में चारों तरफ अपने निजी खर्च कर तारबंदी की व अंदर पाइपलाइन लगवाई व अन्य खर्च किए व मौके पर आज दिन तक कब्जा काश्त है। रेस्पोंडेंट संख्या दो सुरेश सिंह हमारे आपस में विवाद कराने की नियत से नायब तहसीलदार व पटवारी हल्का बारवा को गुमराह कर म्यूटेशन संख्या 1381 को हकतर्कनामा के आधार पर भरवाया एवं स्वीकृत करवाया गया जो अस्वीकार्य योग्य है क्योंकि हकतर्कनामा में खसरा नंबर 884 का उल्लेख है न की 883 का जबकि नामांतरणकरण संख्या 1381 से 883 का हकतर्कनामा भरा गया है जो नायब तहसीलदार बाली द्वारा कानूनी भूल है। रेस्पोंडेंट संख्या दो

अति. जिला कलक्टर बाली (पाली)

CamScanner

द्वारा तथ्यों को छुपा कर पटवारी हल्का बारवा से म्यूटेशन भरवाया गया है जिससे पटवारी हल्का की भी बड़ी भारी भूल रही है उनके द्वारा हकतर्कनामा रिलीज डीड में खसरा नंबर 883 का उल्लेख नहीं होते हुए रेस्पोंडेंट संख्या 2 को लाभ देने के उद्देश्य से म्यूटेशन कर दिया जो वाकई भूल है अतः प्रार्थना पत्र जवाब पेश कर निवेदन है कि म्यूटेशन संख्या 1381 को निरस्त किया जाना न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय से म्यूटेशन रिकॉर्ड मंगवाया गया जिसे प्राप्त होने पर शामिल मिसल किया गया। एवं अपीलांट अधिवक्ता एवं रेस्पॉन्ड 2 के अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 1 स्वयं ने अपनी अपनी बहस सुनाई।

हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील, पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज, अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड एवं रेस्पोंडेंट द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गई बहस पर गंभीरता से मनन किया ततपश्चात इस नतीजे पर पहुंचे कि नायब तहसीलदार बाली द्वारा ग्राम बारवा के म्यूटेशन संख्या 1381 को स्वीकृत करने में प्रविष्टियों की जांच भली प्रकार से नहीं की है। रजिस्टर्ड हकतर्कनामा में खसरा नंबर 884 का उल्लेख है जबकि खसरा नंबर 883 में हकतरकनामे का प्रभाव उक्त म्यूटेशन मे द्रष्टिगत होता है साथ ही उक्त म्यूटेशन मे पटवारी हल्का द्वारा राजस्व मंडल अजमेर की डिक्री का भी उल्लेख किया है जो स्पष्ट नहीं है अतः उक्त म्यूटेशन को त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुए ग्राम बारवा के म्यूटेशन संख्या 1381 को खारिज किया जाता है एवं अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिए जाते हैं कि रजिस्टर्ड हकतरकनामें के आधार पर सही म्यूटेशन दर्ज किया जावे साथ ही यदि न्यायालय आदेश की पालना में कोई म्यूटेशन भरा जाना है तो उसकी भी पूर्ण जांच कर म्यूटेशन दर्ज किया जावे। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फेसल शुमार होकर नंबर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड वापस लौटाया जावे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)
R.A.S
अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली, जिला पाली